


राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

निगरानी संख्या1353../2014.....जिला.....जयपुर.....

उनवान- श्रीमति अंजली जैन पत्नि श्री पारस सूर्या, एस-22, भवानी सिंह मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर, श्रीमति लवी सिंह पॉवर ऑफ आर्टोनी होल्डर मैसर्स परमार एस्टेट प्रा.लि. बनाम् राजस्थान सरकार जरिये उप-पंजीयक-षष्ठम, जयपुर।

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|----------------|--|--|
| 15.01.2015 | <p style="text-align: center;"><u>एकलपीठ</u> <u>श्री मदन लाल, सदस्य</u></p> <p>प्रार्थिया की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री विक्रय गोगरा व विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप-राजकीय अभिभाषक प्रस्तुत निगरानी पर बहस हेतु उपस्थित हुये।</p> <p>प्रार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक श्री विक्रय गोगरा ने प्रार्थिया द्वारा हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर, कथन किया कि प्रार्थी <u>राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.2(6)वित्त/कर/2014-143 दिनांक 16.12.2014</u> का लाभ लेने हेतु प्रस्तुत निगरानी को विदग्ना करना चाहता है। विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने इस संबंध में प्रस्तुत निगरानी को विदग्ना करने के संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति प्रकट नहीं की गयी। फलस्वरूप, प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विदग्ना करने के कारण, प्रस्तुत निगरानी "सारहीन" हो जाने के कारण खारिज की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">  15-1-15 (मदन लाल) सदस्य </p> | |